संख्या-43/2015/712/59-2-2015-22(खा)/2011

व-स-मु-अ-आ/चित्र/ अ. खण्ड

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय-मु०का०आ०
डायरी संख्या 640
दिनांक 20/11/2015

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0 लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 6 नवम्बर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट के वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2014-15 के लम्बित दावों के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-2157/खा0ग्रो0बो0/खादी/2015-16 दिनांक 25 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में कार्यरत खादी आयोग/बोर्ड में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा विगत वर्षो में खादी वस्त्रों की बिक्री पर दी गयी छूट के लम्बित दावों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 3460.00 लाख (रूपये चौतीस करोड साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के साथ आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

1- रिबेट दावों का भुगतान समस्त दावो की सम्परीक्षा कराने के उपरान्त नियमानुसार देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उक्त धनराशि के भुगतान के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के कोई भी रिबेट दावें भुगतान हेतु अवशेष नही रहेंगे। अतः वर्ष 2014-15 तक के रिबेट दावों के सम्बन्ध में अब कोई धनराशि की मांग खादी बोर्ड द्वारा नही की जायेगी।

3- यदि सम्परीक्षा के उपरान्त दावे नियमानुसार भुगतान योग्य नही पाये जाते हैं तो अवशेष धनराशि यथा समय शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4- धनराशि को एक मुश्त आहरित करके पी0एल0ए0/बैंक खातें में नही रखा जायेगा, केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार तुरन्त भुगतान किये जाने वाले दावों का आहरण ही राजकोष से समय-समय पर किया जायेगा।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29.05.2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि हेतु प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाली धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय भुगतान करने वाले अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में दी गयी शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-13-गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट के लम्बित दावों का भुगतान-27-सब्सिडी के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 की अशासकीय संख्या-ई-6-581/दस-2015, दिनांक 28-10-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या- 63/2017/712 (1)/59-2-2015 -22(खा)/2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फलोर छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

N.Sri
(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव